संख्या-85/2018/2629/22-2-2017-17(415)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018***

विषय:- जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रूकसाना पत्नी श्री आशिक अली निवासी जनपद-सहारनपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35919/प्रोबे0-5-दयायाचिका/904 दिनांक 03.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सहारनपुर में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रूकसाना पत्नी श्री आशिक अली, जो मौ-गणपति बिहार कालोनी, थाना-कोतवाली देहात, जनपद-सहारनपुर की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 28.05.2011 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डालकर 01 महिला की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-502/2011 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (कक्ष सं0-4), सहारनपुर के आदेश दिनांक 19.05.2015 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2016 तक 05 वर्ष 04 माह 15 दिन की अपरिहार सजा तथा 05 वर्ष 08 माह 22 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन दयायाचिका समिति ने बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी रूकसाना (बन्दी संख्या-1229/2015) पत्नी श्री आशिक अली निवासी जनपद-सहारनपुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-85/2018/2629(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, सहारनपुर।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in